सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर ब्यावर जिला–अजमेर
पीठासीन अधिकारी – श्री जसमीत सिंह संधू (आई.ए.एस.)
राजस्व वाद संख्या 36/2013

श्रीमती अनोपकंवर पत्नि श्री हनुमानलाल जाति दरोगा निवासी मेवाड़ी गेट बाहर, ब्यावर जिला अजमेर (राज.)

.....वादीया

बनाम

1. श्री लालू वयस्क पुत्र श्री अन्ना– अब मृतक बजरिये उसके विधिक वारिसान :–
1/1 श्री भंवर पुत्र स्व. लालू
1/2 श्री हेमसिंह पुत्र स्व. लालू
1/3 श्री प्रहलाद पुत्र स्व. लालू
जाति रावत निवासियान ग्राम सेदरिया तहसील ब्यावर जिला अजमेर (राज.)
2. श्री मल्ला वयस्क पुत्र श्री अन्ना– अब मृतक बजरिये उनक वारिसान
2/1 श्री धन्नासिंह पुत्र श्री मल्लासिंह
2/2 श्री धर्मासिंह पुत्र श्री मल्लासिंह
दोनों जाति रावत निवासी सेदरिया तहसील ब्यावर जिला अजमेर (राज.)
3. श्रीमती मूमी वयस्क पत्नि श्री लालू (मृतक)
4. श्रीमती बिदामी वयस्क पत्नि श्री मल्ला (मृतक)
दोनों जाति रावत निवासी ग्राम सेदरिया तहसील ब्यावर जिला अजमेर (राज.)
5. राजस्थान सरकार बजरिये लैण्ड होल्डर तहसीलदार ब्यावर (राज.)
6. श्रीमान् उपपंजीयक अधिकारी महोदय, ब्यावर (राज.)
7. श्रीमान् जिला कलक्टर महोदय अजमेर (राज.)
8. श्री बुद्धराज वयस्क पुत्र श्री भोलाराम माली निवासी नेहरू नगर ब्यावर जिला अजमेर
9. श्री कन्हैयालाल गांधी वयस्क पुत्र श्री मिश्रीलाल गांधी
10. श्री अंकित गांधी वयस्क पुत्र श्री कन्हैयालाल गांधी
दोनों जाति माहेश्वरी निवासी अर्पन, सांखला कॉलोनी, कॉलेज रोड़ ब्यावर जिला अजमेर (राज.)

.....प्रतिवादीगण

संशोधित वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम
सपठित धारा 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम

निर्णय दिनांक : 22-07-19

वादिया ने अपने वादपत्र में सारांशतः कथन किए हैं कि मौजा ग्राम सेदरिया पटवार हल्का सेदरिया भू अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र फतेहपुरिया दोयम तहसील ब्यावर जिला अजमेर (राज.) में स्थित आराजियात साबिक खसरा संख्या 322 मि. हाल नम्बर 400 रकबा 01–09–00 किस्म बा.2 जिसे आगे वादग्रस्त आराजियात के नाम से संबोधित किया जावेगा। उक्त वर्णित आराजियात के खातेदार काश्तकार पूर्व में प्रतिवादी नम्बर 1 व 2 थे, जिन्होंने कि उपरोक्त आराजी खसरा संख्या 322मिन को जरिये पंजीकृत विक्रय पत्र दिनांक 14.09.81 के द्वारा वादिया एवं प्रतिवादिया नम्बर 3 व 4 को बएवज़ प्रतिफल विक्रय कर दिया तथा उक्त आराजी का वास्तविक एवं भौतिक रिक्त आधिपत्य भी वादिया एवं प्रतिवादी नम्बर 3 व 4 को संभला दिया। तब से ही उपरोक्त आराजी पर वादिया एवं प्रतिवादिया नम्बर 3 व 4 ही चले आ रहे हैं तथा वादिया का उक्त आराजी में 1/2 हिस्सा एवं प्रतिवादिया नम्बर 3 व 4 का 1/2 हिस्सा चला आ रहा है तथा उसी अनुसार ही वादिया एवं प्रतिवादिया नम्बर 3 व 4 उक्त आराजी में संयुक्त रूप से काबिज काश्त चली आ रही है। तबसे ही प्रतिवादी नम्बर 1 व 2 का उक्त आराजियात से किसी तरह का कोई संबंध सरोकार शेष नहीं रहा है,

.....लगातार

(जसमीतसिंह संधू)
उपखण्ड अधि.एवं सहायक कलक्टर
ब्यावर

उपखण्ड अधि. एवं सहा. कलक्टर ब्यावर

Scanned by CamScanner

किन्तु राजस्व रेकार्ड में उक्त आराजी प्रतिवादी नम्बर 1 व 2 के नाम ही अंकित चली आ रही है। उक्त आराजी आज दिवस तक संयुक्त ही चली आ रही है। उक्त आराजी पर प्रतिवादी नम्बर 1 व 2 के नाम अंकित होने से उनकी नियत बद हो चुकी है तथा वे अब उक्त आराजी पर नाजायज कब्जा करने एवं उसे हड़पने तथा अन्यत्र विक्रय कर देने पर आमादा है। प्रतिवादिया नम्बर 3 व 4 भी प्रतिवादी नम्बर 1 व 2 की पत्नियां होने से उक्त आराजी से वादिया को जबरन बेदखल करने तथा उक्त आराजी पर कब्जा करने पर आमादा हो रही है। वादिया द्वारा प्रतिवादी नम्बर 1 लगायत 4 से सम्पर्क कर प्रतिवादी नम्बर 1 व 2 के स्थान पर वादिया व प्रतिवादिया नम्बर 3 व 4 के नाम नामान्तरकरण कराने तथा प्रतिवादिया नम्बर 3 व 4 से बंटवारा करने हेतु मांग की किन्तु प्रतिवादी नम्बर 1 लगायत 4 इससे इंकार हो गये तथा वादिया को जबरदस्ती बेदखल करने तथा अन्य को बेचान करने की धमकी दी। इस कारण इस वाद की आवश्यकता उत्पन्न हुई। मौजूदा वाद दायरी के पश्चात् वादिया को यह जानकारी हुई कि उक्त आराजी राजस्व रेकार्ड जमाबन्दी में प्रतिवादी नम्बर 1 व 2 के नाम अंकित चली आ रही थी तत्पश्चात् प्रतिवादी नम्बर 2 द्वारा उक्त आराजी में से अपने 1/2 हिस्से में आधा हिस्सा अर्थात् 1/4 हिस्सा बिना किसी आधार एवं अधिकार के प्रतिवादी नम्बर 8 को विक्रय कर दिया तथा उसका नामांतरकरण भी प्रतिवादी नम्बर 8 के नाम गलत एवं विधिविरूद्ध रूप से खोल दिया गया जबकि उक्त संपूर्ण आराजी को प्रतिवादी नम्बर 1 व 2 द्वारा अपनी स्वयं की खातेदारी काश्तकारी आराजी होना बतलाकर संपूर्ण आराजी को वादिया एवं प्रतिवादी नम्बर 3 व 4 को विक्रय करते हुए उसका कब्जा भी उन्हें संभला दिया गया था। तत्पश्चात् प्रतिवादी नम्बर 2 ने राजस्व रेकार्ड में अंकित अपने 1/2 हिस्से में से आधा हिस्सा अर्थात् 1/4 हिस्सा बिना किसी आधार एवं अधिकार के श्रीमती चित्रा पत्नि ललित कुमार गोयल जाति अग्रवाल निवासी अग्रसेन बाजार ब्यावर को विक्रय कर दिया तथा उसके आधार पर उसका नामान्तरकरण भी श्रीमती चित्रा के नाम राजस्व रेकार्ड में गलत एवं विधिविरूद्ध रूप से खोल दिया गया। तत्पश्चात् श्रीमती चित्रा द्वारा उक्त 1/4 हिस्से को बिना किसी आधार एवं अधिकार के प्रतिवादी नम्बर 9 व 10 को विक्रय कर दिया तथा उसका नामान्तरकरण भी दिनांक 07.08.2012 को प्रतिवादी नम्बर 9 व 10 के नाम राजस्व रेकार्ड में खोल दिया गया। उक्त बेचान एवं नामान्तरकरण प्रारंभ से ही गलत, अवैध एवं शून्य तथा निष्प्रभावी है तथा वादीया के अधिकारों पर पूर्ण बेअसर है। उक्त बेचान बिना किसी अधिकार के गलत एवं विधिविरूद्ध रूप से किये गये हैं जबकि उक्त संपूर्ण आराजी को पूर्व में ही वादिया एवं प्रतिवादी नम्बर 3 व 4 को प्रतिवादी नम्बर 1 व 2 द्वारा विक्रय करते हुए उसका कब्जा भी उन्हें संभला दिया गया था तथा प्रतिवादी नम्बर 1 व 2 के पास उक्त आराजी का कोई कब्जा ही नहीं रहा था। अतः प्रतिवादी नम्बर 2 द्वारा कोई आराजी प्रतिवादी नम्बर 8 व श्रीमती चित्रा को विक्रय करने तथा उसे कब्जा संभलाने तथा श्रीमती चित्रा द्वारा उक्त आराजी प्रतिवादी नंबर 9 व 10 को विक्रय करने तथा उसे कोई कब्जा संभलाने का प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता है। इस कारण वादिया राजस्व रेकार्ड दुरूस्त करवाते हुए अपने आपको खातेदार काश्तकार घोषित करवाकर उक्त भूमि अपने नाम अंकित करवाने तथा प्रतिवादी नम्बर 8 व 10 के नाम किये गये अंकन को दुरूस्त करवाने की अधिकारी है। अब प्रतिवादी नम्बर 8 से 10 की नियत भी खराब होने से वादिया को उक्त आराजी से जबरन बेदखल करने तथा उक्त आराजी पर जबरन कब्जा करने पर आमादा हो रहे हैं। अतः उन्हें भी जरिये निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाना न्यायहित में आवश्यक है। अतः यह घोषित किया जावे कि वाद के पद नम्बर 1 में वर्णित भूमि में 1/2 हिस्सा वादिया का खरीदशुदा होने से वादिया उक्त 1/2 हिस्से की खातेदार काश्तकार है तथा प्रतिवादी नम्बर 1 व 2 का उक्त आराजी विक्रय कर दिये जाने से कोई

.....लगातार

(जसमीतसिंह संधू)
उपखण्ड अधि.एवं सहायक कलक्टर
ब्यावर

Scanned by CamScanner

संबंध सरोकार या अधिकार नहीं है। अतः वादिया 1/2 हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर वादिया का नाम राजस्व रेकार्ड में अंकित करवाया जावे तथा इस आशय की तहरीर प्रतिवादी नम्बर 6 को जारी की जावे। यह भी घोषित किया जावे कि उक्त आराजी वादिया व प्रतिवादी नम्बर 3 व 4 को विक्रय किये जाने के पश्चात् प्रतिवादी नम्बर 1 व 2 को उक्त आराजी में कोई अधिकार शेष नहीं रह गये। अतः ही प्रतिवादी नम्बर 8 व श्रीमती चित्रा गोयल के नाम किया गया बेचान व नामान्तरकरण तथा श्रीमी चित्रा द्वारा प्रतिवादी नम्बर 9 व 10 के पक्ष में किया गया बेचान एवं नामान्तरकरण गलत, अवैध एवं गैरकानूनी है तथा वादिया के अधिकारों पर पूर्णतया शून्य एवं बेअसर है तथा उसे दुरूस्त करवाने की वादिया अधिकारी है। अतः राजस्व रेकार्ड दुरूस्त फरमाया जाकर प्रतिवादी नम्बर 8 से 10 व श्रीमती चित्रा का नाम राजस्व रेकार्ड से हटाया जाकर वादिया के नाम 1/2 हिस्सा अंकित करवाया जावे। वादिया के पक्ष में प्रतिवादीगण के विरूद्ध स्थाई निषेधाज्ञा पारित की जावे।

वादपत्र प्राप्त होने पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को जरिए सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादीगण के सम्मन तामील होने के बावजूद अनुपस्थित रहने से उनके विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही की गई।

वादिया श्रीमती अनोपकंवर पत्नि श्री हनुमानलाल द्वारा साक्ष्य का शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया जिसमें उनके कथन कमोबेश उनके वादपत्र अनुसार ही रहे तथा स्वयं को खातेदार काश्कार घोषित करवाने तथा राजस्व रेकार्ड में हुए अविधिक इन्द्राजात को निरस्त करवाने का अनुतोष चाहा गया है। स्वतंत्र गवाह श्री रमेश माली उम्र 53 साल पुत्र श्री कंवरलाल जाति माली निवासी मोतीपुरा बाड़िया ने साक्ष्य का शपथ पत्र प्रस्तुत किया जिन्होंने वादिया के कथनो की पुष्टि की।

वादपत्र पर अधिवक्त वादी की एकपक्षीय बहस सुनी गई जिनके कथन कमोबेश उनके वादपत्र अनुसार ही रहे तथा उन्होंने कथन किए कि वादपत्र में अंकित बंटवारा का अनुतोष वे नहीं चाहते है। केवल वादिया को खातेदार काश्तकार घोषित करवाने तथा जो बेचाननामें गलत होकर उनके आधार पर जो नामान्तरकरण हुए हैं उनके गलत बेचाननामों को शून्य घोषित करते हुए उनके आधार पर हुए नामान्तरकरण को निरस्त कर वादिया का नाम राजस्व रेकार्ड में दर्ज किये जाने का निवेदन किया।

बहस के परिप्रेक्ष्य में पत्रावली का अवलोकन किया गया। बाद अवलोकन पाया कि पंजीकृत बेचाननामा दिनांक 14.09.1981 की प्रमाणित प्रति में विक्रेता प्रतिवादी संख्या 1 व 2 श्री लालू व श्री मल्ला पिसरान श्री अन्ना जाति रावत निवासी सेदरिया ने ग्राम सेदरिया के खसरा संख्या 322 मिन रकबा 01–09–00 किस्म बा.2 पूरा रकबा क्रेता श्रीमती अनोपकंवर धर्मपत्नि श्री हनुमानलाल जाति दरोगा साकिन मेवाड़ी गेट के बाहर ब्यावर बहिस्से 1/2 श्रीमती मूमी धर्मपत्नि लालूजी, श्रीमती बिदामी धर्मपत्नि श्री मल्ला जी जाति रावतान निवासियान सेदरिया बहिस्से 1/2 को बएवज़ प्रतिफल 5000/– रूपये में बेचान किया जाना अंकित है। ग्राम सेदरिया के खसरा संख्या 400 बाबत् नक्शा किश्तवार की प्रमाणित प्रति प्रस्तुत की है। ग्राम सेदरिया की जमाबन्दी संवत् 2068–71 की प्रमाणित प्रति प्रस्तुत की है जिसके खाता संख्या 232 में खसरा संख्या 400 रकबा 01–10–00 किस्म बा.2 में बुद्धराज वल्द भोलाराम जाति माली सा. नेहरूनगर ब्यावर 1/4 हिस्सा चित्रा पत्नि ललित कुमार गोयल जाति अग्रवाल नि. अग्रसेन नगर, देलवाड़ा रोड़ ब्यावर हि.1/4 भंवरसिंह हेमसिंह प्रहलादसिंह कौम रावत हि.1/2 सा. देह दर्ज है तथा इसी जमाबन्दी में लगे नोट नामा.सं. 1285 दिनांक 07.08.2012 बेचान से ख.नं. 400 रकबा 01–10–00 किस्म बा.2 में विक्रेता चित्रा पत्नि ललित कुमार गोयल जाति अग्रवाल नि. अग्रसेन नगर, देलवाड़ा रोड़ ब्यावर हि. 1/4 के स्थान पर बहक क्रेता कन्हैयालाल गांधी पुत्र मिश्रीलाल गांधी व अंकित गांधी पुत्र कन्हैयालाल गांधी जाति माहेश्वरी निवासियान अर्पन सांखला कॉलोनी कॉलेज रोड़ ब्यावर बहिस्से बराबर हि1/4 खातेदार, केनाम पर इन्द्राज करने की स्वीकृति होना दर्ज पाया गया।

.....लगातार

(जसमीतसिंह संधू)
उपखण्ड अधि.एवं सहायक कलक्टर
ब्यावर

Scanned by CamScanner

उक्त समस्त दस्तावेजी साक्ष्य एवं विवेचन के आधार पर यह पाया कि ग्राम सेदरिया की जमाबन्दी संवत् 2068–71 के खाता संख्या 232 में खसरा संख्या 400 रकबा 1–10–00 अंकित है, **परन्तु वादिया ने मिलान क्षेत्रफल प्रस्तुत नहीं किया है** कि साबिक खसरा संख्या 322 मि. का हाल खसरा नम्बर 400 बना हो। इसके अतिरिक्त भी बेचाननामें में ग्राम सेदरिया का साबिक खसरा संख्या 322 मिन अंकित है जिसका रकबा 01–09–00 किस्म बा.2 अंकित है जबकि जमाबन्दी संवत् 2068–71 के खाता संख्या 232 में अंकित खसरा संख्या 400 का रकबा 01–10–00 किस्म बा.2 अंकित है जिसका रकबा **(क्षेत्रफल) पुराने मिन खसरा नम्बर से हाल के बने खसरा नम्बर से मिलान नहीं करता है।** यहां यह भी उल्लेखनीय है कि **वादिया ने ऐसा काई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया है कि जब वादिया ने भूमि क्रय की तब विक्रेता का उक्त भूमियों पर मालिकाना हक रहा हो।** उक्त बाबत् कोई राजस्व रेकार्ड जमाबन्दी प्रस्तुत नहीं की है। उक्त प्रकरण में दस्तावेजात् का अभाव है, केवल मात्र मौखिक कथन किए हैं जो मान्य नहीं है। ऐसी स्थिति में वादिया का वाद स्वीकार योग्य नहीं होने से खारिज़ किया जाता है। खर्चा पक्षकारान अपना अपना वहन करें। यथानुसार डिक्री पर्चा जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 22-07-19 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(अस्मीत सिंह संधू)
आई.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन
सहायक कलक्टर ब्यांवर

उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर

उपखण्ड अधि. एवं सहा. कलक्टर, ब्यावर

डिक्री मुकदमा इब्तदाई
(ओ. 20 रूल्स 6 व 7 जाब्ता दीवानी)
अज अदालत न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, ब्यावर
व अजलाम जसमीत सिंह संधू आई. ए. एस.
राजस्व वाद संख्या 36/2013

श्रीमती अनोपकंवर पत्नि श्री हनुमानलाल जाति दरोगा निवासी मेवाड़ी गेट बाहर, ब्यावर जिला अजमेर (राज.)

.....वादीया

बनाम

1. श्री लालू वयस्क पुत्र श्री अन्ना– अब मृतक बजरिये उसके विधिक वारिसान :–
1/1 श्री भंवर पुत्र स्व. लालू
1/2 श्री हेमसिंह पुत्र स्व. लालू
1/3 श्री प्रहलाद पुत्र स्व. लालू
जाति रावत निवासियान ग्राम सेदरिया तहसील ब्यावर जिला अजमेर (राज.)
2. श्री मल्ला वयस्क पुत्र श्री अन्ना– अब मृतक बजरिये उनक वारिसान
2/1 श्री धन्नासिंह पुत्र श्री मल्लासिंह
2/2 श्री धर्मासिंह पुत्र श्री मल्लासिंह
दोनों जाति रावत निवासी सेदरिया तहसील ब्यावर जिला अजमेर (राज.)
3. श्रीमती मूमी वयस्क पत्नि श्री लालू (मृतक)
4. श्रीमती बिदामी वयस्क पत्नि श्री मल्ला (मृतक)
दोनों जाति रावत निवासी ग्राम सेदरिया तहसील ब्यावर जिला अजमेर (राज.)
5. राजस्थान सरकार बजरिये लैण्ड होल्डर तहसीलदार ब्यावर (राज.)
6. श्रीमान् उपपंजीयक अधिकारी महोदय, ब्यावर (राज.)
7. श्रीमान् जिला कलक्टर महोदय अजमेर (राज.)
8. श्री बुद्धराज वयस्क पुत्र श्री भोलाराम माली निवासी नेहरू नगर ब्यावर जिला अजमेर
9. श्री कन्हैयालाल गांधी वयस्क पुत्र श्री मिश्रीलाल गांधी
10. श्री अंकित गांधी वयस्क पुत्र श्री कन्हैयालाल गांधी
दोनों जाति माहेश्वरी निवासी अर्पन, सांखला कॉलोनी, कॉलेज रोड़ ब्यावर जिला अजमेर (राज.)

.....प्रतिवादीगण

संशोधित वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम
सपठित धारा 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू बहाजरी.....मिनजामिन मुददई रूबरू.....मिनजामिन मुददायलह पेश हुक्म दिया जाता है कि वादिया का वाद स्वीकार योग्य नहीं होने से खारिज़ किया जाता है। खर्चा पक्षकारान अपना अपना वहन करें।

निजी.....मुबलिक.....बाबत.....खर्चा इस मुकदमे का मय सूद वगैरह .....फीसदी सालाना आज की तारीख वसूलियाधि तक.....की अदा करें। बहस्ब मेरे दस्तख्त व मुहर अदालत के आज तारीख 22-07-2019 को जारी किया गया।

(जसमीत सिंह संधू)
आई.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर
ब्यावर

उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन
सहायक कलक्टर ब्यावर

.....लगातार

Scanned by CamScanner

डिक्री मुकदमा इब्तदाई
श्रीमती अनोपकंवर बनाम राजस्थान श्री लालू व अन्य
राजस्व वाद संख्या 36/2013
अन्तर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम सपठित धारा 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम

वादी		प्रतिवादी	
	रुपया		रुपया
1. वाद पत्र के लिए स्टाम्प 2. शक्तिं पत्र के लिए स्टाम्प 3. प्रदर्शों के लिए स्टाम्प 4. ..... रुपये पर प्लीडर की फीस 5. साक्षियों के लिए निर्वाह–व्यय 6. कमिश्नर की फीस 7. आदेशिका की तामिल		शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प अर्जी के लिए स्टाम्प प्लीडर की फीस साक्षियों के लिए निर्वाह व्यय आदेशिका की तामील कमिश्नर की फीस	
जोड़		जोड़	

(जसमीत सिंह संधू)
आई.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन
सहायक कलक्टर ब्यावर

(जसमीतसिंह संधू)
उपखण्ड अधि. एवं सहायक कलक्टर
ब्यावर

Scanned by CamScanner

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर ब्यावर जिला–अजमेर

राजस्व वाद संख्या 36/2013

श्रीमती अनोपकंवर बनाम श्री लालू व अन्य

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 22 नियम 2 सपठित धारा 151 जाब्ता दीवानी तथा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 151 जाब्ता दीवानी वास्ते वाद में से धारा 53 एवं उसके संबंध में अनुतोष डिलीट किये जाने बाबत् जो इस वाद पत्र संख्या 36/2013 अन्तर्गत धारा 53, 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम सपठित धारा 136 भू राजस्व अधिनियम पर प्रस्तुत किया गया हैं।

आदेश दिनांक 13-05-2019

वादीगण की ओर से प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 22 नियम 2 सपठित धारा 151 जाब्ता दीवानी का प्रस्तुत कर सारांशतः कथन किए हैं कि प्रतिवादिया संख्या 3 श्रीमती मूमी की मृत्यु हो चुकी है। प्रतिवादिया नम्बर 3 के वारिसान पत्रावली पर रेकार्ड पर पूर्व से ही चले आ रहे हैं। अतः प्रतिवादिया नम्बर 3 के नाम के आगे मृतक शब्द अंकित किये जाने के आदेश पारित फरमावें।

इसी प्रकार प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 151 जाब्ता दीवानी वास्ते वाद में से धारा 53 एवं उसके संबंध में अनुतोष डिलीट किये जाने का प्रस्तुत कर सारांशतः कथन किए हैं कि वादिया मौजूदा वाद अन्तर्गत धारा 53, 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम एवं धारा 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम में विभाजन बाबत् कोई अनुतोष क्लेम नहीं करना चाहती है। इस कारण मौजूदा वाद से धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम तथा उसके अन्तर्गत चाहा गया विभाजन बाबत् अनुतोष को वाद से डिलीट किया जाना न्यायहित में आवश्यक है अतः वादपत्र से डिलीट फरमावें।

प्रार्थना पत्रों पर अधिवक्ता वादी की एकपक्षीय बहस सुनी गई जिनके कथन कमोबेश उनके प्रार्थना पत्र अनुसार ही रहे।

बहस के परिप्रेक्ष्य में पत्रावली का अवलोकन किया गया। बाद अवलोकन पाया कि अधिवक्ता वादी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 22 नियम 2 सपठित धारा 151 जाब्ता दीवानी अनुसार प्रतिवादी संख्या 3 के वारिसान 1/1 से 1/3 पूर्व से ही वाद में पक्षकार प्रतिवादी के रूप में चले आ रहे हैं। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाता है तथा प्रतिवादी संख्या 3 के नाम के आगे मृतक शब्द अंकित किये जाने के आदेश पारित किये जाते हैं।

इसी प्रकार प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 151 जाब्ता दीवानी वास्ते वाद में से धारा 53 एवं उसके संबंध में अनुतोष डिलीट किये जाने के संबंध में सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 के आदेश 23 नियम 1 (1) में स्पष्ट प्रावधान है कि "वाद संस्थित किए जाने के पश्चात् किसी भी समय वादी सभी प्रतिवादियों या उनमें से किसी के विरूद्ध अपने वाद का परित्याग या अपने दावे के भाग का परित्याग कर सकेगा।" ऐसी स्थिति में उक्त प्रावधानों के तहत प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाता है तथा धारा 53 एवं उसके संबंध में वादपत्र में चाहे गये अनुतोष को अपठनीय किया जाता है। धारा 53 एवं उसके संबंध में चाहे गये अनुतोष को वादपत्र का भाग नहीं माना जावे।

आदेश आज दिनांक 13-05-19 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधि. एवं सहा. कलक्टर ब्यावर

(जसमीत सिंह संधु)
आई.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन
सहायक कलक्टर ब्यावर

Scanned by CamScanner

Signature Not Verified
Digitally signed by Jasmeet Singh Sandhu
Date: 2019.12.02 15:02:02 IST
Reason: SelfAttested
Location: